[redacted]

परिशिष्ट-2

निर्माण कार्य निर्देश कमांक –1

सर्व शिक्षा अभियान वार्षिक कार्य योजना 2006–07 के निर्माण कार्यो के संबंध में निर्देश

- सर्व शिक्षा अभियान की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2006–07 के अनुसार ही निर्माण कार्य वर्ष 2006–07 में कराये जाने है, जिसकी एक प्रतिलिपि अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न भी है।
- शालाओं एवं अतिरिक्त कक्षों के स्थल चयन डाईस डाटा के आधार पर करे जिसमे स्थल चयन बच्चों के sqatting area के मान से करना हैं। सबसे अधिक शालाओं/अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता वाली शालाओं/अतिरिक्त कक्ष को क्रम मे सबसे ऊपर रखते हुये घटते क्रम की सूची तैयार करे। इस सूची के अनुसार शालाओं का चयन करे, इसमे किसी भी प्रकार का परिवर्तत न किया जाये।
- वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2006–07 में स्वीकृत प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शालायें वर्ष 2005–06 मे जारी की गयी प्राथमिक शालाओं की डिजाईन के आधार पर स्वीकृत की जानी है, जिसमें 80 से कम दर्ज संख्या वाली दो छोटे कमरों की शाला की एक डिजाईन है, एवं 80 से 120 तक बच्चों की संख्या के लिये (निर्माण निर्देश कमांक 6 अनुसार) चार विकल्प है। 121 से 170 तक दर्ज बच्चों की संख्या वाली शाला के लिये (निर्माण निर्देश कमांक 7 अनुसार) 5 विकल्प है एवं 171 से 220 तक दर्ज बच्चों की संख्या वाली शाला के लिये (निर्माण निर्देश कमांक 9 अनुसार) 8 विकल्प है।
- वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2006–07 में स्वीकृत राशि का प्रावधान इस प्रकार रखा गया है कि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा अनुमोदित विकल्पों की सभी शालायें स्थिति अनुसार बनाई जा सकती है। अतः जिले में सभी अनुमोदित विकल्पों की शाला भवन की शालाए बनाई जानी चाहिए।

स्थल चयन, निर्माण कार्य का संपादन एवं अनुबंध; प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति; तथा पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग; प्राथमिक शालाओं के आवश्यक घटक; निर्माण सामग्री क्रय; वित्तीय प्रवाह एवम् लेखा पद्धति; मूल्यांकन; निरीक्षण; प्रशिक्षण इत्यादि कार्य वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2005–06 में जारी किये गये निर्देश क्रमांक 6,7 एवं 9 अनुसार करवाये जावे।

(हस्ताक्षर) 1/06/06

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

- शाला भवन की टेक्नीकल एवं प्रशासकीय स्वीकृति लागत प्रभावी तकनीक का उपयोग करते हुये इकॉनामिकल रूप से जारी की जावे, इसमें लोकल सामग्री (I.S.I गुणवत्ता या टास्क रेट के **Specification** वाली सामग्री) का अधिकतम उपयोग किया जावे जिससे की मरम्मत इत्यादि भविष्य में आसानी से की जा सके। इसके उपरांत यदि राशि बचती है, तो बची हुई राशि के उपयोग हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रस्ताव भेज कर स्वीकृति ली जावे।
- सर्व शिक्षा अभियान के निर्माण कार्य में केवल अधोसंरचना विकास के वही कार्य शामिल किये जाये जो कि भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय प्रबंध और अधिप्राप्ति पर नियम पुस्तिका में लेख किये गये हैं। (जिसके सिविल कार्य से संबंधित बिन्दु पत्र क्रमांक 8901 दिनांक 13.03.2006 द्वारा भी भेजे गये हैं।) एवं जिसके लिए बजट स्वीकृत हुआ हैं।
- निर्माणकार्य मे उपयंत्री/सहायक यंत्री /कार्यपालन यंत्री (निर्माण कार्य समन्वयक) का सतत् निरीक्षण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावे।
- निर्माण एजेंसियों के ... दिवसीय उन्मुखीकरण के लिये प्रशिक्षण मे समिति के अध्यक्ष ... / सदस्य/ मेसन एवं उपयंत्री को सम्मिलित किया जाये। यह प्रशिक्षण निर्माण कार्य समन्वयक के मार्गदर्शन मे सम्पादित की जावे।
- (अ) इस वर्ष शाला भवन एवं अतिरिक्त कक्ष का निर्माण बच्चों की दर्ज संख्या अनुसार कराया जाना है। जिसका विवरण एवं स्वीकृत राशि निम्नानुसार है, जिसमें मुख्य बिल्डिंग की लागत में 3 प्रतिशत की राशि क्वालिटी कंट्रोल के लिये रखी गयी है, जो कि जिला स्तर से व्यय की जावेगी (जिसके निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे है)। 3 प्रतिशत की राशि बाला (Bala Building as learning aid) के लिये रखी गयी है एवं 1 प्रतिशत की राशि विकलांग बच्चों के लिए अधोसंरचना विकास हेतु रखी गयी है, इनमें किए जाने वाले कार्यो का समावेश प्राक्कलन मे अनिवार्य रूप से किया जावे।

  (ब) किचिन शेड के लिए स्वीकृत राशि रू. 30,000/– है जिसमें रू. 1000/–की राशि क्वालिटी कंट्रोल के लिये रखी गयी है।

  (स) शहरी क्षेत्रों के लिये टॉयलेट एवं पेयजल उपलब्धता के लिये स्वीकृत राशि क्रमशः रू. 20,000/– एवं रू.15,000/– रखी गयी है।

(signature) .../06/..

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2006–07 के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो इकाई लागत में निम्नलिखित घटकों का प्रावधान रखा गया हैं:—

S.No.	Discription	Type of Building	Main building Cost	Add appro. 3% for quality control	3%to 4% for Bala	1% for IED	Total	Total Cost Say
1	For enrolment below 80	Two small rooms and Verandah	197,000	5,910	5,910	1,970	210,790	211,000
2	For enrolment 80 to 120	Two rooms and Verandah	322,000	9,660	9,660	3,220	344,540	345,000
3	For enrolment 121 to 170	Three rooms and Verandah	471,000	14,130	14,130	4,710	503,970	504,000
4	For enrolment 171 to 220	Four rooms and Verandah	627,000	18,810	18,810	6,270	670,890	671,000
5	Additional Room for PS & MS	One room and verandah	177,000	5,310	5,310	1,770	189,390	189,000
6	Kitchen Shed	With building only	29,000	1,000				30,000
7	Toilet Block		20,000	-				20,000
8	Drinking Water		15,000	-				15,000

- निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन समय– सीमा में संलग्न कार्य योजना अनुसार सुनिश्चित किया जावे।
- भवन निर्माण मे विघुतीकरण का कार्य आवश्यकतानुसार करांया जा सकता है।
- रेन वाटर हारवेस्टिंग का कार्य इकोनामिकल तरीके से करवाये।
- पालक शिक्षक संघ के चुनाव तक तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति की प्रकिया पूर्ण कर ले जिससे की नये पालक शिक्षक संघ के आते ही कार्य द्रुत गति से निर्माण कार्य शुरू किये जा सके।

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल